


मदरूपाराम बनाम पुरखाराम वगैराह अपील संख्या 17/2017

03.02.2020

अपीलांट व अपीलांट के वकील एवं सरकारी वकील उपस्थित। अपीलांट द्वारा विचाराधीन अपील को आगे नहीं चलाना कथन करते हुए अपील को विद्धो करने का नोट अंकित कर हस्ताक्षर किये हैं, जिसकी पहचान वकील अपीलांट द्वारा की गयी है। अतः अपीलांट द्वारा अपील विद्धो करना चाहने के आधार पर अपील जरिये विद्धोल खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से क्रम हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।


जिला कलेक्टर,
जालोर